



## एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से वदियार्थियों के लिये एक नए पहचान पत्र बनाने हेतु माता-पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया, जिससे **व्यवस्थापित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (Automated Permanent Academic Account Registry- APAAR)** के रूप में जाना जाता है।

- यह केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' पहल का हिस्सा है, जो नई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** पर आधारित है।

## वदियार्थियों के लिये ID, APAAR का उद्देश्य?

### ▪ परिचय:

- पहल के तहत प्रत्येक वदियार्थी को एक **लाइफटाइम APAAR आईडी** मिलेगी, जिससे **शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिये पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान** हो जाएगा।
- APAAR **डिजिटल** के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करेगा। डिजिटल प्रणाली है जहाँ छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और उपलब्धियाँ, जैसे; परीक्षा परिणाम एवं रिपोर्ट कार्ड संग्रहीत कर सकते हैं।

### ▪ आवश्यकता:

- APAAR शुरू करने का लक्ष्य **शिक्षा ग्रहण करने की कागज़ी प्रक्रियाओं में होने वाली समस्याओं को समाप्त करना** और छात्रों को **दस्तावेज़ साथ लाने या ले जाने की आवश्यकता को कम करना** है।
- इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकारों को **साक्षरता दर, वदियार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर तथा कई अन्य तथ्यों को ट्रैक करने में सहायता** मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा में सुधार करना सरल हो सकेगा।
- APAAR का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिये एकल, विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके **धोखाधड़ी और डुप्लिकेट शैक्षणिक प्रमाणपत्रों से निपटना** भी है।

## APAAR ID की कार्यप्रणाली:

### ▪ शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (ABC) के साथ जुड़ाव:

- प्रत्येक वदियार्थी के पास एक अलग APAAR ID होगी जो **शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (ABC)** से जुड़ी होगी, जो एक डिजिटल स्टोरहाउस है जिसमें छात्रों द्वारा उनके शैक्षणिक करियर में अर्जित क्रेडिट का विवरण होगा।

### ▪ स्कूलों का परिवर्तन:

- यदि छात्र स्कूल बदलता है, चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, ABC में उसका सारा डेटा सर्फ **APAAR ID साझा करने से उसके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जायेगा**।
  - छात्रों को **दस्तावेज़ या स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं** होगी।

### ▪ APAAR के लिये नामांकन:

- APAAR के लिये पंजीकरण करने के लिये छात्रों को नाम, उम्र, जन्मतिथि, लिंग और एक तस्वीर सहित बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी। इस जानकारी को उनके **आधार नंबर** का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा।
- छात्रों को एक सहमतपत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और वे APAAR ID बनाने के लिये शिक्षा मंत्रालय के **साथ अपने आधार नंबर तथा जनसांख्यिकीय जानकारी साझाकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं**।
  - नाबालगों के लिये माता-पिता को सहमतपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे मंत्रालय **UIDAI** के साथ प्रमाणीकरण के लिये छात्र के आधार नंबर का उपयोग कर सके।
- APAAR ID बनाने के लिये पंजीकरण **सर्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं**।

## APAAR को लेकर चिंताएँ:

### ▪ गोपनीयता के मुद्दे:

- आधार विवरण साझा करने से माता-पिता और छात्रों में चिंता बढ़ जाती है, उन्हें डर है कि इससे बाह्य समूह उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

■ **UDISE+ से संबंधित चर्चाएँ:**

- सरकार का कहना है कि छात्रों द्वारा साझा की गई **जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा** और शैक्षणिक गतिविधियों में लगी संस्थाओं, जैसे **संयुक्त ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (Unified District Information System for Education + - UDISE+)** डेटाबेस को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
  - लेकिन डेटा के किसी भी उल्लंघन को रोकने तथा UDISE+ हेतु सख्ती से पालन करने के लिये वर्तमान **में कोई निर्धारित दिशा-निर्देश नहीं है।**

**संयुक्त ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE Plus):**

- यह **स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है।** इसे वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रवर्षिट में तेज़ी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान बनाने हेतु शुरू किया गया था।
- यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के **वर्ष में विवरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है।**
  - यह **UDISE का एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।**
- इसमें **1.49 मिलियन से अधिक स्कूल, 9.5 मिलियन शिक्षक और 265 मिलियन से अधिक छात्र शामिल हैं।**
- यह समग्र भारत में सरकारी और नजी स्कूलों में **कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षा मापदंडों को मापने में मदद करता है।**

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

**??????????:**

**प्रश्न. भारतीय संविधान के नमिनलखिति में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)**

1. राज्य की नीतिके नरिदशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

**उत्तर- (d)**